पटना समाहरणालय, पटना।
(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 38(सा०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 25.07.2012 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप–मुख्यशीर्ष–02 बाढ़ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष–114–कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष–0001–कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) विपत्र कोड एन० 2245021140001 मद में 2,70,300.00 (दो लाख सत्तर हजार तीन सौ) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसे इस कार्यालय के ज्ञापांक 781/आ०प्र० दिनांक 08.008.2012 से अंचल अधिकारी, पालीगंज को उपावंटित किया गया है।

पुनः अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1/प्रा०आ०–0–3–28/12–82(सा०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 04.02.2013 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप–मुख्यशीर्ष–02 बाढ़ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष–114–कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष–0001–कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) विपत्र कोड एन० 2245021140001 मद में 0.36 (छत्तीस हजार) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2012–13 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(मांग संख्या – 39, यूनिट कोड – 31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा)

(राशि : रूपया में)

क्रमांक	आवंटित पदाधिकारी का पद नाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्त्तमान उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
1	2	3	4	5
01.	अंचल अधिकारी, पालीगंज	**270300.00**	**0.00**	**270300.00**
02.	अंचल अधिकारी, विक्रम	**0.00**	**36000.00**	**36000.00**
	कुल :–	**270300.00**	**36000.00**	**306300.00**

1. यह उपावंटन चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप–मुख्यशीर्ष–02 बाढ़ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष–114–कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष–0001–कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) विपत्र कोड एन० 2245021140001 मद में उपवंधित राशि से विकलनीय होगा।
2. यह उपावंटन अंचल कार्यालय विक्रम के पत्रांक 288 दिनांक 03.05.2011 द्वारा की गई अधियाचना के दृष्टिगत प्रदान की जा रही है।
3. उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

4. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय–सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को शीघ्र भेज दी जाय।

5. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। कृपया एक विपत्र पर एक ही उप शीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।

6. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि० (2)] दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

7. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2013 के पूर्व निश्चित रूप से कर देंगे। अन्यथा, इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खातें में नहीं रखी जाय।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-08/2013 155 /आ०प्र०, दिनांक 16/02/2013

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, बिक्रम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना/आई०टी० मैनेजर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
पटना।

Awantan